

अयोध्या-विवाद समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए दिशा-निर्देश

संदर्भ-

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता के आदेश दे दिए हैं। देश के सबसे जटिल और पुराने मामले (सिविल मुकदमा) का सर्वमान्य हल निकालने के लिए अनेक प्रयास होते रहे हैं, परंतु विवाद दशकों से आदालत और विभिन्न समुदायों के साथ राजनीतिक गलियारों में बना रहा। कोर्ट की मंशा जनभावनाओं से जुड़े इस जटिल मामले का सर्वमान्य समाधान करने का है।

इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन किया है। इसके लिए पैनल को आठ सप्ताह का वक्त दिया गया है। हालांकि पैनल से चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है।

यह प्रक्रिया बंद कमरे में तथा कैमरे की निगरानी में चलेगी। मामले पर कोई प्रभाव न पड़े इसके लिए इस मध्यस्थ कमेटी को मीडिया से दूर रखने का आग्रह किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जरूरत पड़ने पर कमेटी अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में मध्यस्थता की सभी कार्यवाही होगी।

मध्यस्थ पैनल के सदस्य

अध्यक्ष - जस्टिस कलीफुल्ला - जस्टिस कलीफुल्ला ने 20 अगस्त, 1975 को वकालत शुरू की थी।, मद्रास हाई कोर्ट में जज बनने के बाद जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने, 2 अप्रैल, 2012 को वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 22 जुलाई, 2016 को सेवानिवृत्त हुए।

सदस्य (1) - श्रीश्री रविशंकर - जाने-माने आध्यात्मिक गुरु, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, पहले भी व्यक्तिगत स्तर पर अयोध्या मामले को सुलझाने की पहल कर चुके हैं, इनके दुनियाभर में करोड़ों अनुयायी हैं। वह सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े कार्यक्रमों के लिए भी जाने जाते हैं।

सदस्य (2) - श्रीराम पंचू - 40 वर्षों से वकालत कर रहे हैं वरिष्ठ वकील, 10 सालों से सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। मिडिएशन चैंबर्स के संस्थापक हैं, देश में व्यावसायिक, कॉर्पोरेट और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े और जटिल विवादों में मध्यस्थता कर चुके हैं।

- अयोध्या विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीनों मध्यस्थ तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी दिया था सुझाव - अयोध्या विवाद का मध्यस्थता के माध्यम से सर्वमान्य समाधान खोजने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2017 में भी दिया था। तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा था कि सभी पक्षकारों को नए सिरे से विवाद का सर्वमान्य हल खोजने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह बहुत संवेदनशील और भावनात्मक मामला है। हालांकि, इस प्रकरण के पक्षकारों में तत्कालीन पीठ के इस सुझाव के प्रति झिझक थी और बात आगे नहीं बढ़ सकी थी।

अयोध्या विवाद और उसका इतिहास -

- 1528 : अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू समुदाय, भगवान राम का जन्म स्थान मानता है। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने ये मस्जिद बनवाई थी जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था।
- 1853 : हिंदुओं का आरोप है कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई।
- 1859 : ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग-अलग प्रार्थना की इजाजत दे दी।
- 1885 : मामला पहली बार अदालत में पहुँचा। महंत 'रघुवर दास' ने फैजाबाद अदालत में विवादित बाबरी मस्जिद से लगे राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की।
- जनवरी, 1950 : 'गोपाल सिंह विशारद' ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा- अर्चना

की विशेष इजाजत मांगी। उन्होंने वहां से मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोक की भी मांग की।

- दिसंबर, 1950 : 'महंत परमहंस रामचंद्र दास' ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और विवादित बाबरी मस्जिद में राममूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया।
- दिसंबर, 1959 : निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया।
- दिसंबर, 1961 : उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया।
- 1984 : विश्व हिंदू परिषद (BHP) ने विवादित स्थल के ताले खोलने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया।
- फरवरी, 1986 : फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। ताले दोबारा खोले गए। नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी का गठन किया।
- जून 1989 : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू कर मंदिर आंदोलन को नया जीवन दिया।
- जुलाई, 1989 : भगवान रामलला विराजमान नाम से अदालत में पांचवा मुकदमा दाखिल किया गया।
- नवंबर, 1989 : तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने विवादित स्थल के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दी।
- सितंबर, 1990 : भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली।
- लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
- दिसंबर, 1992 : हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। जल्दबाजी में एक अस्थाई राम मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा किया।
- दिसंबर, 1992 : विवादित स्थल में तोड़-फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच के लिए 'लिब्रहान आयोग' का गठन हुआ।
- जनवरी 2002 : तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से वार्ता करना था।
- अप्रैल 2002 : अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई शुरू की।
- मार्च-अगस्त 2003 : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खोदाई की।
- जुलाई 2005 : आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया।
- जुलाई 2009 : लिब्रहान आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- सितंबर 2010 : सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया।
- सितंबर 2010 : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
- मार्च 2017 : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की।
- मार्च 2019 : सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया।

2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान, जिसे हिंदू महासभा को दिया गया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया।

- हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पुरात्व विभाग की रिपोर्ट को आधार माना था जिसमें कहा गया कि खुदाई के दौरान विवादित स्थल पर मंदिर के प्रमाण मिले थे। इसके अलावा भगवान राम के जन्म होने की मान्यता को भी शामिल किया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि साढ़े चार सौ साल से मौजूद एक इमारत के ऐतिहासिक तथ्यों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। तब से इस मामले में यथा-स्थिति बरकरार है।
- मालिकाना हक को लेकर इससे पहले इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करते हुए 1994 के इस्माइल फारुखी बनाम भारत संघ मामले में अपने फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजने से इनकार करते हुए कहा था कि इस्माइल फारुखी केस में अदालत की टिप्पणी सिर्फ भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों में लागू होगी, राम जन्मभूमि विवाद से इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. बाबरी मस्जिद में जौनपुर की स्थापत्य पद्धति का अनुकरण किया गया था।
2. मीरबकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था।
3. बाबरी मस्जिद अयोध्या शहर के 'रामकोट पहाड़ी' पर स्थित था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- भारत जैसे लोकतंत्र में अयोध्या विवाद मामला न केवल न्यायपालिका को लेकर 'देर से मिला न्याय अन्यास के समान है' के प्रसंग को चरितार्थ करता प्रतीत होता है बल्कि यह 'अनेकता में एकता' और 'सर्वधर्मसमभाव' के सांस्कृतिक विरासत के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक परीक्षा भी है। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए।

